...हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 64/2025 अनवान हउवा देवी बनाम मैसर्स पदमावती डेवलपर्स वगैराह	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
29/08/2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल श्रेणी में प्राप्त। अनपस्थित होने पर एकपक्षीय कार्यवाहीं अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण का कथन है कि मौजा बाडमेर गादान पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 2904/2158 रकबा 0.3237 हैक्टयर, भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है। वकील प्रार्थी को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है जो उचित प्रतीत होता है। अतः मौजा बाडमेर गादान पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 2904/2158 रकबा 0.3237 हैक्टयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्त्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/— अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाड़मेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल–सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बाड़मेर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.10.25 12:53:10 IST
Reason: SelfAttested